

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.क.— 620 / 2014

संस्थित दिनांक—02.07.2014

फाईलिंग नं.—234503002012014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

भरत मेरावी पिता बालचंद मेरावी, उम्र 37 साल,

निवासी ग्राम रजमा, थाना बैहर

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—20 / 01 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा—34(1) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—09.06.2014 को समय करीब 6.00 बजे, थाना बैहर अन्तर्गत स्थान ग्राम रजमा में अपने घर की बाड़ी में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 36 पाव एम. डी. नम्बर वन रम, 27 पाव विस्की, 14 पाव गोवा विस्की, प्रत्येक में 180 ग्राम, कुल 77 पाव अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—09.06.2014 को आरक्षी केन्द्र बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रूपराम झारिया हमराह प्रधान आरक्षक क्रमांक—751 को साथ लेकर जुर्म जयराम पतासाजी हेतु रवाना हुआ तो गश्ती के दौरान उसे मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रजमा का भरतलाल मेरावी अपनी बाड़ी में अंग्रेजी शराब विक्रय करने हेतु छिपाकर रखा है। मुखबिर की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक रूपराम झारिया हमराह स्टाफ को साथ लेकर तस्दीक वास्ते रवाना हुआ जो भरतलाल मेरावी की बाड़ी में एक खाकी कलर की कागज की पेटी में 36 पाव एम.डी.नम्बर—1 एक्स.एक्स.एक्स रम, एक खाकी कलर की कागज की पेटी में 27 पाव एम.डी.नम्बर—1 विस्की, एक खाकी कलर की कागज की पेटी में 14 पाव विस्की, हर पाव 180 ग्राम लिखा कुल 77 पाव अंग्रेजी शराब मिली, कुल जुमला रकम

9080 का होना पाया गया। उक्त शराब रखने के लायसेंस के संबंध में भरतलाल मेरावी से पूछा गया तो भरतलाल मेरावी ने उक्त शराब रखने के संबंध में कोई लायसेंस न होना व्यक्त किया। आरोपी के पास उक्त शराब रखने का लायसेंस न होने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-96/14, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1960 एवं 2000 की धारा-34(1) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं आरोपी से उक्त शराब जप्त कर तथा आरोपी को गिरफ्तार कर मामले से संबंधित आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी भरतलाल मेरावी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- आरोपी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-09.06.2014 को समय करीब 6.00 बजे, थाना बैहर अन्तर्गत स्थान ग्राम रजमा में अपने घर की बाड़ी में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 36 पाव एम.डी. नम्बर वन रम, 27 पाव विस्की, 14 पाव गोवा विस्की, प्रत्येक में 180 ग्राम, कुल 77 पाव अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- रूपराम झारिया (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-09.06.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये ग्राम गश्ती के दौरान ग्राम रजमा गया था जहां उसे मुखबिर से सूचना मिली कि भरतलाल मेरावी अपनी बाड़ी में शराब छिपाकर रखा है। उक्त सूचना पर वह आरोपी भरतलाल मेरावी की बाड़ी में गया था जहां पर भरतलाल एवं साक्षियों की उपस्थिति में आरोपी भरतलाल की बाड़ी से एक खाकी कलर की कागज की पेटी में एम.डी.नं.-1 ट्रिपल एक्स रम 36 पाव कीमती 4320/- रुपये, एक खाकी कलर की कागज की पेटी में एम.डी.नं.-1 विस्की 27 पाव कीमती 3780/-रुपये, एक खाकी

कलर की कागज की पेटी में गोवा विस्की 14 पांव कीमती 980/- रुपये जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किये थे, जिस पर उसके तथा आरोपी भरतलाल मेरावी के हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वापस थाने आकर उसने आरोपी भरतलाल मेरावी के विरुद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-96/14, धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत लेख किया था जो प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने विवेचना के दौरान साक्षी अशोक, महेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। जप्तशुदा मदिरा को परीक्षण हेतु आबकारी उपनिरीक्षक बैहर को भेजा था जिसकी रिपोर्ट प्राप्त कर उसने रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न की है।

6- उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना दिनांक को थाने से रवानगी एवं वापसी का सान्हा चालान के साथ पेश नहीं किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि रवानगी व वापसी का सान्हा प्रकरण के साथ संलग्न नहीं करने का वह कोई कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी की बाड़ी के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 में स्थान वाले कॉलम में स्थान का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक में नमूना सील का छापा नहीं लगाया है और जप्त शराब को सीलबंद किये जाने का भी पंचनामा तैयार नहीं किया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने सीलबंद शराब को भेजे जाने के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक को कोई प्रतिवेदन नहीं दिया था। इस प्रकार साक्षी के द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही के संबंध में उपरोक्तानुसार तात्विक त्रुटियां किये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है।

7- साक्षी अशोक कुमार महोरे (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में किया है कि वह दिनांक-24.06.2014 को आबकारी वृत्त बैहर में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना बैहर के अपराध क्रमांक-96/14 में आरोपी भरतलाल मेरावी, पिता बालचंद मेरावी निवासी ग्राम रजमा से सीलबंद हालत में द्रव्य जांच हेतु प्राप्त हुआ था जिसकी जांच पर उसने दो पाव मेगडावेल थ्री एक्स रम होना, देखने पर डार्क रंग और सूंघने और चखने पर स्पीड की गंध और स्वाद होना पाया था उक्त

द्रव्य में नीला लिटमस पेपर डुबाने पर उसका रंग अप्रभावी रहा, मदिरा की तेजी 26.4 यू.पी. थी। दो पाव मेगडावेल विस्की थी, को देखने पर हल्का नीला रंग सूंघने और चखने पर स्प्रीड की गंध और स्वाद होना पाया, उक्त द्रव्य में नीला लिटमस पेपर डुबाने पर उसका रंग अप्रभावी रहा, मदिरा की तेजी 26.2 यू.पी. होना पाया था। दो पाव गोवा विस्की रम थी, को देखने पर डार्क रंग, सूंघने और चखने पर स्प्रीड की गंध और स्वाद होना पाया। उक्त द्रव्य में नीला लिटमस पेपर डुबाने पर उसका रंग अप्रभावी रहा, मदिरा की तेजी 26.4 यू.पी. होना पाया था। उपरोक्त परिणामों और व्यवहारित प्रशिक्षण के आधार पर उक्त द्रव्य विदेशी मदिरा होना पाया। परीक्षण के बाद जांच कर सामग्री को उसने अपनी सीलबंद कर थाना प्रभारी बैहर की ओर भेजा। टूटी हुई सील में जांच रिपोर्ट मुद्देमाल सहित आरक्षक रामसिंह भलावी क्रमांक-1062 को दिया। उसके द्वारा तैयार की गई मदिरा परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने शराब का परीक्षण करने के पूर्व सीलबंद किये जाने का पंचनामा तैयार नहीं किया था। साक्षी के द्वारा तैयार मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 में बरामद द्रव्य सीलबंद हालत में प्राप्त कर परीक्षण कर उसे विदेशी मदिरा होना पाया जाना के संबंध में रिपोर्ट पेश की गई है, यद्यपि उसे सीलबंद हालत में द्रव्य जांच हेतु भेजे जाने के संबंध में जप्ती अधिकारी के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि उसने कथित जांच हेतु नमूना द्रव्य पदार्थ सीलबंद किया था और उसके बाद उसे आबकारी उपनिरीक्षक को भेजा था इसके अलावा उक्त साक्षी एवं जप्ती अधिकारी की साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं होता है कि कथित द्रव्य जांच हेतु किस आरक्षक या पुलिस अधिकारी के माध्यम से सीलबंद करके भेजा गया था वास्तव में कथित द्रव्य जांच हेतु किसी के माध्यम से भेजे जाने के संबंध में पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है, ऐसी दशा में आबकारी उपनिरीक्षक को कथित द्रव्य जांच हेतु उचित माध्यम से प्राप्त होना भी प्रमाणित नहीं है।

9— साक्षी अशोक (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी भरतलाल मेरावी से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक

प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान नहीं लिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष दिनांक-09.08.2014 को आरोपी भरतलाल की बाड़ी से शराब जप्त की थी एवं पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से शराब रखने के दस्तावेज के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार आरोपी भरतलाल से शराब जप्त की थी एवं पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी भरतलाल मेरावी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही की थी। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी-3 का कथन दिया था। साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि आरोपी बिना लायसेंस के शराब रखकर बेचता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे तथा उसे पढ़कर भी नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया है।

10— साक्षी महेश कुमार (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी है। आरोपी को पुलिस थाना लेकर आई थी तो वह मिलने गया था। उसके समक्ष आरोपी की किराना की दुकान से किसी चीज जप्त नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक-09.06.2014 को शाम के लगभग 06.00 बजे जब वह भरतलाल मेरावी की दुकान तरफ घुमने गया था तो उसी समय बैहर थाने के पुलिस वाले भरतलाल मेरावी की बाड़ी तरफ दिखे थे एवं उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी भरतलाल मेरावी से उसकी बाड़ी से रम 26 पाव, विस्की 27 पाव, गोवा विस्की 14 पाव जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त की थी तथा उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी से जप्त शराब रखने बाबत लायसेंस के संबंध में पूछा था तो कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस अपने पास शराब नहीं

रखती है एवं उसके गांव में अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं है तथा उसके गांव में लोग शराब पीते हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी इसी कारण बाहर से अवैध रूप से शराब लाकर किराना दुकान में रखकर शराब बेचता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह बिना पढ़े किसी कार्यवाही में हस्ताक्षर नहीं करता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसने इसलिये हस्ताक्षर किये थे क्योंकि आरोपी ने अपनी बाड़ी में अवैध रूप से शराब रखी थी जिसके संबंध में पुलिस ने उसके समक्ष कार्यवाही की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके समक्ष हुई कार्यवाही के संबंध में उसने प्रदर्श पी-4 का कथन दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी उसके गांव का होने के कारण वह उसे बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सामान्यतः यह होता है कि अपने समक्ष हुई कार्यवाही में ही हस्ताक्षर किया जाता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी के विरुद्ध में विधिवत् कार्यवाही की थी इसलिये उसने प्रदर्श पी-1 एवं 2 पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह आरोपी से मिलने के लिये थाने नहीं गया था और न ही हस्ताक्षर थाने में किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 में जप्ती का स्थान ग्राम रजमा भरतलाल की बाड़ी लेख है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी की बाड़ी से ही शराब की जप्त की गई थी।

11— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसके समक्ष कोई शराब जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त नहीं हुई थी एवं उसके समक्ष आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसके हस्ताक्षर पुलिस वाले ने बिना पढ़ाये प्रदर्श पी-1 एवं 2 पर ले लिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उसके कोई कथन नहीं लिये थे। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की कार्यवाही का किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया है।

12— प्रकरण में जप्ती अधिकारी रूपराम झारिया (अ.सा.4) के द्वारा जप्ती, गिरफ्तारी व कथित जांच कार्यवाही हेतु द्रव्य पदार्थ भेजे जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही के संबंध में साक्ष्य पेश की गई है। उक्त साक्षी के अनुसार सम्पूर्ण कार्यवाही स्वयं अकेले के द्वारा ही निष्पादित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी दशा में उसके द्वारा की गई

कार्यवाही का सूक्ष्मता से विवेचना किया जाना आवश्यक है, जप्ती अधिकारी व अनुसंधानकर्ता के रूप में की गई कार्यवाहियों का अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है, बल्कि उनकी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जप्ती अधिकारी ने मात्र दस्तावेजी कार्यवाही में उनके हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा मौके पर उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित कार्यवाही किये जाने के पूर्व थाने से रवानगी एवं कार्यवाही के पश्चात् वापसी का रोजनामचा सान्हा तैयार किया जाना भी नहीं बताया है और न ही उसे साक्ष्य में प्रमाणित कराया है। इसके अलावा कथित द्रव्य पदार्थ को सीलबंद न किये जाने और उसे उचित माध्यम से जांच हेतु भेजे जाने के संबंध में भी साक्ष्य का अभाव है। ऐसी दशा में एक मात्र विवेचक के द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही, जिसका अन्य साक्षीगण से समर्थन प्राप्त नहीं होने तथा की गई कार्यवाही सन्देह से परे विधिवत् रूप से प्रमाणित भी नहीं है।

13— उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी भरतलाल मेरावी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के 36 पाव एम.डी. नम्बर वन रम, 27 पाव विस्की, 14 पाव गोवा विस्की, प्रत्येक में 180 ग्राम, कुल 77 पाव अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखा। अतएव आरोपी भरतलाल मेरावी को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-34(1) के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा 36 पाव एम.डी. नम्बर वन रम, 27 पाव विस्की, 14 पाव गोवा विस्की, प्रत्येक में 180 ग्राम, कुल 77 पाव अंग्रेजी शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट